

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालयः
महानदी भवन, नया रायपुर

(१)

क्रमांक ३३५/अमुस/पंग्राविवि/2016,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक ३०/०५/२०१६

१. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
२. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - छत्तीसगढ़

विषय :- “श्रद्धांजली योजना” के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के संबंध में।

-००-

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए “श्रद्धांजली योजना” लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत् ऐसे परिवार, जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार “स्वतः शामिल सूचकांक,” के आधार पर गरीब परिवार के रूप में शामिल है, तथा ऐसे परिवार, जो किसी ना किसी वर्चन सूचकांक (Deprivation Indicators) में शामिल है, परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 घण्टे के भीतर, मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक परिवार को, रु. 2000/- (दो हजार रु मात्र) तत्काल एक मुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

विभाग द्वारा “श्रद्धांजली योजना” के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।


(एस.के.तिवारी)
अवर सचिव

पृ.क्रमांक ३३५/अमुस/पंग्राविवि/2016,

प्रतिलिपि :-

चूंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर, दिनांक ३०/०५/२०१६

१. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
२. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
३. विशेष सहायक / निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन।
४. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

5. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
 6. आयुक्त / संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
 7. समर्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 8. समर्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छत्तीसगढ़।
 9. समर्त उप संचालक, पंचायत, जिला-छत्तीसगढ़।
 10. समर्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मार्गदर्शिका

— : : श्रद्धांजलि योजना : : —

1. प्रस्तावना :-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांशतः गरीब परिवार के व्यक्ति होते हैं, जो गरीबी में अपना जीवन—यापन करते हैं। आय के संसाधन कम होने से इन्हें अपने जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन जुटाने में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिये श्रद्धांजलि योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत् ऐसे परिवार की जो कंडिका नम्बर 04 पर उल्लेख अनुसार पात्रता रखते हैं, उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उस परिवार को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि दिवंगत व्यक्ति के अंतिम संस्कार हेतु परिवार के समक्ष राशि अभाव के कारण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, अपितु मृतक का सम्मान सहित अंतिम संस्कार किया जा सके।

2. उद्देश्य :-

श्रद्धांजलि योजना ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार स्वतः शामिल यों वंचन सूचकांक (Deprivation indicators) के दायरे में आने वाले परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिये तत्काल रूपये 2,000/- (अक्षरी दो हजार रुपये मात्र) एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जायेगा, जिन परिवारों को किसी अन्य योजनाओं से अन्त्योष्टि हेतु सहायता प्राप्त होती है उनको इसकी पात्रता नहीं होगी।

3. कार्यक्षेत्र :-

यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिये लागू है। योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में लागू होगा।

4. पात्रता :-

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार जो—

स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर गरीब परिवार के रूप में शामिल हैं तथा—ऐसे परिवार जो किसी ना किसी वंचन सूचकांक (Deprivation indicators) में शामिल हैं

परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 घण्टे के भीतर मृतक के अंतिम संस्कार के लिये मृतक परिवार को रूपये 2,000/- (अक्षरी दो हजार रूपये मात्र) तत्काल एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी। वंचन सूचकांक (Deprivation indicators) के दायरे में आने वाले परिवारों का चयन समय—समय पर शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

5. योजना का क्रियान्वयन :-

इस योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। इस हेतु ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव का नाम, मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पता सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में प्रचारित किया जायेगा, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव को उनके मोबाईल पर तत्काल सूचना प्राप्त हो सके। मृतक परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का होगा। शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिये जिला पंचायतों को राशि आबंटित की जायेगी। जिला पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि RTGS के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

6. वित्तीय स्त्रोत/सहायता अनुदान :-

श्रद्धांजलि योजना के लिये शत्-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के तहत शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि किसी समय पर्याप्त न हो तो विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की निधि, अधोसंरचना, राज्य प्रवर्तित योजनाओं के ब्याज की राशि, मूलभूत कार्यों/14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग तत्कालिक रूप से किया जा सकेगा। भविष्य में ऐसी राशि का समायोजन शासन द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान राशि से किया जायेगा।

प्रशासकीय स्वीकृति :-

इस योजना के तहत् संबंधित ग्राम पंचायत् सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिये स्वतः प्रशासकीय स्वीकृति ले सकेंगे।

8. भौतिक / वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के संबंध में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित जनपद पंचायत को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भेजा जावेगा। जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को एवं जिला पंचायत द्वारा संचालक, पंचायत को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा।

9. उपयोगिता प्रमाण पत्र :-

जनपद पंचायतों को आबंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला पंचायत को उपलब्ध करायेगा तथा जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संचालक, पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. अंकेक्षण :-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक पृथक से पंजी संधारित किया जायेगा, जिसमें मृतक के पूर्ण विवरण यथा, नाम, पिता/पति का नाम, आयु, निवास स्थान, वार्ड/मोहल्ला सहित लाभान्वित परिवार के संबंध में विवरण होगा। लाभान्वित परिवार को भुगतान किये जाने वाली राशि का पृथक से लेखा बनाये रखने के लिये लेजर पंजी एवं भुगतान पंजी भी संधारित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा लेखा नियमों के तहत् राशि का भुगतान संबंधी लेखाओं का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा। इन लेखाओं का अंकेक्षण विभागीय अंकेक्षक/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।



(एस.के.तिवारी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग